N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0165 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/08/2024 15:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 06/08/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:23 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/08/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/08/2024 15:42:21 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** GRAM SIYANI, RAMSAR BARMER

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** RAMESH KUMAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** UMMEDARAM
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHOMANI SIYAGO KI DHANI, SATRAU, RAMSAR, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHOMANI SIYAGO KI DHANI, SATRAU, RAMSAR, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHURA RAM		पिता:GENARAM	1. SIYANI,RAMSAR,BARMER,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 9,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर। विषय- पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने पर कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय, अर्ज प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री उमेदाराम जाति जाट उम्र 24 वर्ष पेशा खेतीबाडी निवासी भोमाणी सियागो की ढाणी सेतराउ तहसील रामसर जिला बाडमेर की इस प्रकार है कि हमारी सामलाती कृषि भूमि भोमाणी सियोगो की ढाणी मे आई हुई है। कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारे हेतु मेरे पिताजी उम्मेदाराम ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय रामसर मे राजस्व आवेदन संख्या 99/2024 दायर किया जिसमे एसडीएम कोर्ट द्वारा दिनांक 05.07.2024 को सामलाती भूमि के समस्त खसरो की कब्जा काश्त अनुरूप मौका रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया तहसीलदार रामसर द्वारा न्यायालय के उसी आदेश पर पत्रांक 1690 दिनांक 18.07.2024 पटवारी पटवार हल्का सेतराउ को प्रेषित कर नियमानुसार जांच कर मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया। पटवारी श्री भूराराम ने उक्त आदेश के क्रम मे दिनांक 22.07.2024 को मौके पर चलकर मौका निरीक्षण किया और मुझे रामसर मे अपने रूम पर बुलाया, तब मै आज से तीन दिन पहले पटवारी के पास गया तो उसने मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने की एवज मे 13000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की, तब मैने हाथाजोडी की कि मेरे पास इतने रूपये नही है तो उसने कहा कि पैसे नही दोगे तो मौका रिपोर्ट आगे नही भेजुगा तब मजबूरन उस समय मैने उसे 8000 रूपये दिये तब उसने रूपये लेकर मुझे कहा कि एक बार और आर.आई साहब के साथ चलकर मौका देखना पडेगा और आर.आई साहब को भी 13000 रूपये देने पडेगे इसलिए आप मेरे शेष रहे 5000 रूपये व आर.आई साहब के लिए 13000 रूपये सहित कुल राशि 18000 रूपये एक दो दिन मे मुझे दे दो तो मै आपकी मौका रिपोर्ट समय से तारीख पेशी पर भिजवा दूंगा। मै पटवारी को मेरे जायज कार्य की एवज मे उक्त 18000 रूपये की रिश्वत नही देना चाहता हू। यह राशि पटवारी को नही देने से हमारे केस मे तारीख पेशी आज दिनांक 31.07.2024 को उसने मौका रिपोर्ट तैयार कोर्ट मे पेश नही की है, जिससे हमे हमारे वाद मे आगे की पेशी लेनी पडी। आज उसने मुझे फोन कर कहा कि आर.आई साहब आये हुए है आज हम आपका दूबारा मौका देखेगे और रिपोर्ट तैयार करेगे इसलिए आप फटाफट 18000 रूपये लेकर पहुचो। मै पटवारी को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरे व श्री भूराराम पटवारी के बीच कोई रंजिश नहीं हैं, न ही कोई रूपये पैसों का लेनदेन बकाया हैं। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश हैं। -एस.डी.- गवाह श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक/06.08.2024 प्रार्थी - एस.डी.- श्री रमेश कुमार पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी भोमाणी सियागो की ढाणी सेतराउ तहसील रामसर जिला बाडमेर मोबाईल नं. -एस.डी.- गवाह श्री जितेन्द्रकुमार वरिष्ठ सहायक/06.08.2024 -एस.डी.- किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनाँक 31.07.2024 वक्त 02.00 पी.एम. पर प्रार्थी श्री रमेशकुमार पुत्र श्री उम्मेदाराम, जाति जाट, उम्र 23 वर्ष, पैशा खेती, निवासी ग्राम भोमाणी सियागों की ढाणी सेतराऊ, तहसील रामसर, जिला बाडमेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड प्रति व वाद सं. 99/2024 उम्मेदाराम बनाम तहसीलदार में श्रीमान एस.डी.एम. रामसर के आदेश क्रमांक कोर्ट/2253 दिनांक 05.07.2024 जो तहसीदार रामसर द्वारा आरोपित पटवारी को पृष्ठांकित आदेश क्रमांक 1690 दिनांक 18.07.2024 की स्व-प्रमाणित प्रति के इस आश्य की पेश की उपरोक्त वाद में हमारी शामलाती कृषि भूमि बंटवाड़े बाबत् पटवारी, पटवार हल्का सेतराउ से मौका रिपोर्ट चाही गई, पटवारी द्वारा मौका देखा जाकर 13000 रू. रिश्वत की मांग कर 8000 रू. प्राप्त किये गये एंव बाद में दुबारा आर.आई. साहब के साथ मौका देखने व इस कार्य हेतु आर.आई. साहब के लिए ओर 13000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर अपने बकाया 5000 सहित कुल 18000 रू. ओर रिश्वत मांग रहा हैं, तथा इसके अभाव में मौका रिपोर्ट तैयार कर नहीं दी, जिससे आज दिनांक 31.07.2024 की तारीख पेशी पर हमारा काम नहीं होने से आगे ओर हमें तारीख लेनी पडी। मैं आरोपी श्री भूराराम पटवारी पटवार मण्डल सेतराउ को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व श्री भूराराम पटवारी के बीच कोई रंजिश नहीं हैं, न ही कोई रूपये पैसों का लेनदेन बकाया हैं। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होकर इस पर अपने स्व-कलमी हस्ताक्षरित कर पेश करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित

2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मालखाना से एच.एम. श्री सुराब हैड कानि. नं. 97 द्वारा निर्देशानुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया, जिन्हें ऑपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादी श्री रमेशकुमार से समझाईश की जाकर कार्यालय हाजा के श्री रघुवीरसिंह कानि. नं. 143 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बाबत् एक बार पुनः परिवादी व श्री रघुवीरसिंह कानि. को समझाईस की गई। ताबाद श्री रघुवीरसिंह कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री रमेशकुमार के साथ रवाना रामसर की तरफ किया गया। जो उसी रात्रि के समय मय परिवादी श्री रमेश कुमार के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, कानि. रघुवीरसिह ने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा पेश कर बताया कि चौकी हाजा से परिवादी रमेश कुमार के साथ उसकी निजी गाडी से रवाना होकर आरोपित के कहेनुसार कस्बा रामसर स्थित पुराने तहसील भवन के पास पहुॅंच परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर आरोपी श्री भूराराम पटवारी पटवार मण्डल सेतराऊ से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पुराने तहसील भवन की तरफ रवाना किया, मैं वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी की वापसी के इन्तजार मे व्यस्त रहा। कुछ देर बाद परिवादी वापिस मेरे पास आया जिनसे डिजिटल रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनी अभिरक्षा मे लिया। परिवादी ने बताया कि वर्षात शुरू हो जाने से पटवारी अभी कुछ देर पहले यहां से कहीं चला गया। जिनके नहीं मिलने से आज कोई वार्ता नहीं हुई हैं। जिस पर रामसर से रवाना सुदा चौकी उपस्थित आये हैं। हाजिर परिवादी ने अपने स्तर पर मालुमात कर बताया कि श्री भूराराम पटवारी दिनांक 03.08.2024 को पुराने तहसील भवन रामसर स्थित अपने क्वार्टर पर मुझसे मिलेगा, जिस पर श्री रघुवीरसिंह कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के पुनः सुपुर्द कर दिनांक 03.08.2024 को परिवादी के साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु जाने बाबत् निर्देशित किया गया। दिनांक 05.08.2024 को मन् उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य से बाहर गया हुआ चौकी हाजा पर उपस्थित आया, श्री रघुवीरसिंह कानि. मय परिवादी श्री रमेशकुमार के चौकी हाजा पर उपस्थित मिला, जिसने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा पेश कर बताया कि निर्देशानुसार चौकी हाजा से परिवादी के साथ दिनांक 03.08.2024 को रवाना होकर रामसर पंहुचे, जहां आरोपित पटवारी के उपस्थित नहीं मिलने से परिवादी द्वारा आरोपित पटवारी को वॉट्सअप कॉल करने पर पटवारी ने उसे रामसर से लगभग 25 कि.मी. दूर अपने स्वयं के गांव सियाणी स्थित श्रीमति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पास बुलाया, जिस पर परिवादी के निजी वाहन से हम दोनों ग्राम सियाणी स्थित उक्त विद्यालय के पास पंहुचे, जहां मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर मैं उसके वाहन से नीचे उतर गया व उसे स्कूल की तरफ रवाना कर दिया, कुछ दूर जाकर परिवादी ने सड़क के किनारे अपनी गाडी रोकी, जहां सडक पर एक व्यक्ति आया व परिवादी की गाड़ी में बैठ गया, मैं वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मौजूद रहा, करीबन 20-25 मिनट बाद परिवादी ने मुझे कॉल कर बताया कि पटवारी चला गया हैं, जिस पर मैंने परिवादी के पास गोपनीय स्थान पर पंहुच उससे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की अभिरक्षा में लिया व परिवादी की गाड़ी में बैठकर वापस बाडमेर की तरफ रवाना हो गये, पूछने पर परिवादी ने बताया कि आरोपित पटवारी सड़क किनारे खडा था, जो मेरी गाडी को देखते ही अन्दर आकर बैठ गया, जिससे मैंने मेरे कार्य के बारे में बात की तो उसने पहले कागजता पूरे होने व सबकी सहमति के बारे में पूछा व फिर कहा कि नायब साहब अड़ा रहे हैं, उन्हें मैंने बोल दिया हैं कि आपको खुश कर देगें, तब मैंने कहा कि मेरा काम आपको करना हैं, आप जानो न नायब साहब जाने, आप बोलो मुझे क्या करना हैं, जिस पर पटवारी ने कहा कि आपको पहले बताया हुआ हैं, जिस पर मैंने कहा कि वो तो 20,000 रू. बहुत ज्यादा बोले थे, जिस पर पटवारी ने कहा कि कुछ कम कर दो ओर क्या, जिस पर मैंने कहा कि मैं 15000 तक कर दूंगा, तब उसने कहा ठीक हैं कर देना, जिस पर मैंने उसे कहा कि मैं 5000 रू. अभी कर देता हैं, जिस पर पटवारी ने कहा कि अभी कहां किसे करोगे, चूंकि पहले पटवारी ने मुझे एक बार मगाराम ई मित्र वाले को पैसे देने के लिए बोला था, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि मगाराम को कर देता हूं, तब पटवारी ने कहा कि ठीक हैं मगाराम को कर दो, तब मैंने फोन पे नंबरो का कहा तो पटवारी ने बोलकर मुझे मगाराम के फोन पे नंबर लिखवाये, जिस पर मैंने उनके सामने ही पटवारी के बताये नंबरो पर 5000 रू. फोन पे कर दिये, इसके बाद मैंने कहा काम के लिय मेरी गाड़ी के चार चक्कर काट चुका हूं, इसलिए कुछ डीजल के समझकर कम करो, तो पटवारी ने कहा कि अब क्या कम करें, तब मैंने कहा कि अब मैं 9000 रू. ओर दूंगा, जिस पर पटवारी ने कहा कि नौ नहीं दस हजार करने हैं, तब मैंने थोड़ी ओर जिद्द की तो उसने कहा ठीक हैं 9000 रू. दे देना, मैंने कहा मेरे भाई को भेजूंगा तो चलेगा, उसने कहा चलेगा, और उसने सोमवार को मेरी मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश करने का कहते हुए पहले तो कहा कि मगाराम को ही दे देना, फिर कहा कि मेरे क्वार्टर पर भेज देना। इस तरह आरोपित पटवारी द्वारा परिवादी से उसके पुश्तैनी सामलाती कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसील/एसडीएम कार्यालय में पेश करने की ऐवज में 15,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर इसमें से 5000 रू. अपने जानकार श्री मगाराम ई मित्र वाले को फोन पे करवाये व शेष 10,000 रू. में से परिवादी के बार बार आग्रह पर 9000 रू.

[redacted]

रिश्वती राशि लेना तय किया गया। हाजिर परिवादी द्वारा कानि. श्री रघुवीरसिंह के उक्त तथ्यों की ताईद की गई, जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर रिकॉर्डिंग वार्ता सुनी गई तो कानि. द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होते हुए रिश्वती राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। किन्तु उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता तकनिकी कारणों से डिजिटल टेप रिकार्डर में इस्ट्रांल मेमोरी कार्ड में सेव नहीं होकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में ही सेव होना पाया गया, जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। आरोपित के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। परिवादी द्वारा वक्त सत्यापन श्री मगाराम ई-मित्र धारक को किये गये फोन-पे ट्रांजेक्शन का मोबाईल से स्क्रीन शॉट लिया जाकर स्क्रीन शॉट का प्रिण्ट आऊट लेकर इस पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी से रिश्वती राशि 9000 रू. की व्यवस्था के संबध में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं आज दोपहर तक आरोपित को दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर वापस हाजिर हो जाउंगा, जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु फॉरिक किया गया। जिसने कुछ समय बाद उपस्थित आकर बताया कि आरोपित पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर साथ में लेकर आया हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले मेरे स्तर पर आरोपित पटवारी के बारे में मालुमात की तो वो पुराने तहसील भवन में नहीं हैं, कहीं बाहर हल्के में चला गया हैं, जो कल दिन में वापस आयेगा, जिस पर ट्रेप कार्यवाही दूसरे दिन दिनांक 06.08.2024 को करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को मय रिश्वती राशि के दिनांक 06.8.2024 को प्रातः पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर फॉरिक किया गया। प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु जरिये तेहरीर श्री मोहम्मद हनीफ एएसआई के माध्यम कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, बाड़मेर से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्रकुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक को मामुर करवाकर इन्हें दिनांक 06.08.2024 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाया गया। उक्तानुसार श्री सुराब खां हैड कानि. के माध्यम से कार्यालय स्टाफ को भी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित करवाया गया। दिनांक 06.08.2024 को निर्देशानुसार ब्यूरो स्टाफ एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान नियत समय पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री रमेशकुमार भी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया व आरोपित पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 9000 रू. साथ में लेकर आना बताया, जिस पर दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री मूलाराम चौधरी पुत्र श्री मेघराज चौधरी, जाति जाट, उम्र 32 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम खारिया डेर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर, हाल वरिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक कर विभाग वृत-बी बाड़मेर, मोबाईल नं. व श्री जितेन्द्रकुमार पुत्र श्री चेतनराम, जाति दर्जी, उम्र 29 साल, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी हनुमान मंदिर के पास ग्राम खाजूवाला, तहसील खाजूवाला, बीकानेर, हाल वरिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक कर विभाग वृत-ए ब्राड़मेर, मोबाईल नं. के रूप में दिया। दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री रमेशकुमार से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 31.07.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता टेप रिकॉर्डर को ऑन कर सुनाई गई। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात परिवादी श्री रमेशकुमार एवं आरोपी श्री भूराराम पटवारी के मध्य दिनांक 03.08.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री रमेशकुमार के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मंाग सत्यापन वार्तालाप मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री रघुवीरसिंह कानि. के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप पर मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इस वार्तालाप की श्री लालाराम कानि. नं. 328 से कार्यालय कम्पयुटर के माध्यम से एक मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी व एक सीडी तैयार करवाकर मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को मूल मानते हुये एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की सील्डयुक्त थेली पर मार्क "डी" अंकित किया गया, एवं सीडी को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी श्री भूराराम पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री रमेशकुमार द्वारा की गई। ट्रेप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन की आवश्यकता होने से तलब सुदा चालक श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयराज सिंह निवासी उदय नगर बाड़मेर मय प्राईवेट टैक्सी वाहन नं. जी.जे. 08 सी.आर. 7037 के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, जिसे शामिल ट्रेप दल किया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक व श्री जितेन्द्रकुमार वरिष्ठ सहायक के रूबरू मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री रमेशकुमार से आरोपी श्री भूराराम पटवारी पटवार मण्डल सेतराऊ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 9000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 18 नोट, कुल राशि 9000 रू. रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 RN 037840 2 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 NA 377460 3 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 7 SK 072789 4 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 0 KA 658977 5 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 GS 977801 6 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 FR 573793 7 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 FQ 644918 8 एक नोट

पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 ED 191058 9 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 CK 652668 10 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 MH 429812 11 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 1 UE 253904 12 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 6 EA 394141 13 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 8 EN 210939 14 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 CQ 704658 15 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 QU 274763 16 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4 LS 973904 17 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 PM 004764 18 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 9 FS 297629 कार्यालय हाजा के मालखाना को श्री सुराब खां हैड़ कानि0 97 से खुलवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री सहदेव सिंह कनिष्ट सहायक से उक्त 9000 रू के सभी नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री रमेशकुमार की जामा तलाशी गवाह श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नोटों को परिवादी श्री रमेशकुमार के पहनी हुई पैण्ट के दांहिने साईड की जेब में श्री सहदेव सिंह कनिष्ट सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री भूराराम पटवारी के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस या सत्यापनकर्ता श्री रघुवीरसिंह कानि. के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री सहदेव सिंह कनिष्ट सहायक के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को ऑफिस से बाहर फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी श्री सहदेव सिंह कनिष्ट सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवाई जाकर श्री सुराब खा हैड़ कानि. नं. 97 से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त टेम्प पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् किशनसिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई., श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री अनूपसिह हैड कानि. 44, श्री ठाकराराम कानि. नं. 440, श्री लालाराम कानि. 328, श्री रघुवीरसिंह कानि. नं. 143, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक व श्री जितेन्द्रकुमार वरिष्ठ सहायक एंव परिवादी श्री रमेशकुमार के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर. जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. श्री बांकाराम कानि. नं. 584 एवं प्राईवेट वाहन नं. जी.जे. 08 सी.आर. 7037 मय चालक श्री महेन्द्रसिंह तथा परिवादी के निजी वाहन के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर से रवाना होकर कस्बा रामसर स्थित पुराने तहसील भवन के पास पंहुचा, यहां परिवादी श्री रमेशकुमार को श्री रघुवीरसिंह कानि. के माध्यम से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के ऑन कर सुपुर्द कर आरोपित श्री भूराराम पटवारी से रिश्वती राशि लेन-देन हेतु रवाना आरोपित के पुराने तहसील भवन में स्थित राजकीय क्वार्टर की तरफ किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान वहीं आस-पास अपनी-अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ समय बाद परिवादी श्री रमेशकुमार बिना कोई ईशारा किये पुराने तहसील भवन रामसर से निकलकर अपने निजी वाहन में बैठकर पुनः बाडमेर की तरफ रवाना हुआ, जिनसे गोपनीय रूप से सम्पर्क कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की अभिरक्षा में लिया, एंव पूछने पर परिवादी ने बताया कि आरोपित पटवारी बताये गये क्वार्टर में नहीं मिला, जिसे मैंने कॉल कर पूछा तो मुझे अपने गांव सियाणी स्थित श्रीमति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पास मिलने हेतु बुलाया हैं। जिस पर परिवादी के साथ उसके निजी वाहन में श्री रघुवीरसिंह कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कॉर्ड के सुपुर्द कर बाद मुनासिब हिदायत श्री लालाराम कानि. सहित

[redacted]

आगे-आगे ग्राम सियाणी की तरफ रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जरिये राजकीय एंव प्राईवेट वाहन के उनके पीछे-पीछे कस्बा रामसर से रवाना होकर ग्राम सियाणी स्थित श्रीमति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पास पंहुचा, जहां परिवादी के निजी वाहन, प्राईवेट एंव राजकीय वाहन को रोककर एक बार पुनः परिवादी श्री रमेशकुमार को रिश्वती राशि लेन-देन के संबध में मुनासिब समझाईश कर आस-पास की लोकेशन का नजरी अवलोकन कर ट्रेप दल को आवश्यक ब्रीफिंग की गई। बाद श्री रघुवीरसिंह कानि. के माध्यम से परिवादी श्री रमेशकुमार को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इस्ट्रांलसुदा मेमोरी कॉर्ड के ऑन कर सुपुर्द करवाकर आरोपी श्री भूराराम पटवारी से रिश्वती राशि लेन-देन बाबत् सम्पर्क करने हेतु रवाना आरोपित के बतायेनुसार श्रीमति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान राजकीय एंव प्राईवेट वाहन के वहीं आस-पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ समय पश्चात वक्त 04.23 पी.एम. पर स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री रमेशकुमार ने ग्राम सियाणी में बाड़मेर की तरफ जाने वाली आम सड़क पर अपनी निजी गाड़ी में से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नं. से हमराह जाब्ता के श्री रघुवीरसिंह कानि. नं. 143 के मोबाईल नं. पर कॉल कर रिश्वत राशि लेन-देन होने तथा आरोपित पटवारी के भी बाड़मेर का कोई कार्य होने से उनके साथ बाड़मेर की तरफ रवाना होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री रघुवीरसिंह कानि. द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया गया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान मय राजकीय वाहन एंव प्राईवेट वाहन के परिवादी के वाहन का पीछा कर उसे पुलिस चौकी सियाणी के आगे आम सड़क पर रूकवाकर हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से उनके निजी मोबाईल में पूर्व में डलवाए गए नए मेमोरी कार्ड में विडियो रिकॉर्डिंग प्रारंभ करवाई जाकर परिवादी से पूर्व में दिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वयं की अभिरक्षा में लिया, इस बीच परिवादी श्री रमेशकुमार ने गाड़ी से उतरकर अपनी गाड़ी में चालक सींट के बगल की फ्रण्ट सींट पर बैठे जीन्स-पैण्ट व टी-शर्ट पहने चश्माधारी व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये श्री भूराराम पटवारी हैं, जिसने अभी-अभी हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने की ऐवज में मेरे से रिश्वती राशि 9000 रू. प्राप्त कर अपने पहनी हुई जीन्स-पैण्ट की जेब में रखे हैं, कौनसी जेब में रखे हैं, के बारे में पूछने पर परिवादी ने आरोपित पटवारी के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के बांयी साईड के आगे की जेब की तरफ हाथ से ईशारा किया। जिस पर परिवादी द्वारा निशांदेह किये गये आरोपित श्री भूराराम पटवारी को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत करवाया गया एंव आरोपित का परिचय पूछा गया तो उसने अपना परिचय श्री भूराराम पुत्र श्री गेनाराम, जाति मेगवाल, उम्र 24 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम सियाणी, तहसील व पुलिस थाना रामसर, जिला बाड़मेर, हाल पटवारी, पटवार मण्डल बूठिया, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल सेतराऊ, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर, मोबाईल नं. के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री भूराराम पटवारी को परिवादी श्री रमेशकुमार को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने परिवादी से जान-पहचान होना व रमेशकुमार नाम होना बताया, रिश्वती राशि के संबध में कुछ देर तक बिना कुछ बोले निरूत्तर रहा फिर पुनः पूछने पर घबराते हुए बोला कि मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिये हैं, तब हाजिर परिवादी श्री रमेशकुमार ने बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरी गाड़ी में ही पटवारी ने मेरे से रिश्वती राशि मांग कर 9000 रू. प्राप्त कर अपने पहनी हुई जीन्स पैण्ट की जेब में रखे हैं। तब आरोपित पटवारी से पुनः पूछा गया तो ट्रेप दल के सामने देखते हुए चुपचाप रहे, जिस पर आरोपित को दिलासा देकर ढाढंस बंधाते हुए तसल्ली से पुनः रिश्वती राशि प्राप्त करने व कहां रखी जाने के बारे में पूछा गया तो परिवादी से पैसे लेना स्वीकार कर अपने पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के बांयी साईड के आगे की जेब की तरफ हाथ से ईशारा किया। इस दौरान आरोपित पटवारी के हाथ में मौजूद उसका मोबाईल कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपित पटवारी को परिवादी के वाहन से नीचे उतार कर चूंकि घटनास्थल आम सड़क का स्थान होने एंव आरोपित पटवारी के स्वयं का गांव होने से उसके परिजन एंव अन्य ग्रामीणों द्वारा मौके पर एकत्रित होने की संभावना के मध्यनजर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही नजदीकी पुलिस थाना रामसर पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर आरोपित पटवारी को दस्तियाब कर राजकीय वाहन में बिठाकर मय समस्त हमराहियान के ग्राम सियाणी से रवाना होकर पुलिस थाना रामसर में पंहुच हमराह कानि. श्री लालाराम से उनके निजी मोबाईल में पुनः विडियोग्राफी प्रारम्भ करवाई जाकर आरोपित पटवारी को राजकीय वाहन से नीचे उतारकर पुलिस थाना रामसर में मुख्य दरवाजे पर रिसेप्शन स्थान पर लगी टेबल पर थाने में मौजूद श्री खेताराम हैड कानि. नं. 201 से मौखिक अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपित पटवारी व परिवादी से आवश्यक पूछताछ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्रकुमार वरिष्ठ सहायक से आरोपित पटवारी श्री भूराराम के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के बांयी साईड के आगे की जेब की तलाशी लिरवाई गई तो उक्त जेब में भारतीय मुद्रा के 500-500 रू0 के नोट रखे पाये गये, जिस पर उक्त राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्रकुमार से ही गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 18 नोट, कुल राशि 9000 रू0 होना पाया गया। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री जितेन्द्रकुमार के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री भूराराम पटवारी के हाथ धोवन

की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए थाने में रखे पानी के कैम्पर में से एक साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री भूराराम पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल. एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री भूराराम पटवारी के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच-2 अंकित किया गया। आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के बांयी साईड के आगे की जेब में से रिश्वती राशि बरामद होने से उक्त जेब का धोवन लिये जाने हेतु आरोपी के पहनने के लिए थाने में से ही एक लोअर की व्यवस्था कर उसे पहनने हेतु दिया जाकर उसके वक्त वाका पहनी हुई जीन्स-पैण्ट को उतरवाकर इसको चैक किया गया तो उक्त ब्लेक रंग की जीन्स-पैण्ट जिसके बांयी साईड कमर पर अन्दर की तरफ सफेद रंग में 'FLYING MACHINE नाम प्रिण्ट सुदा होना पाया, पूर्ववत् उक्त जीन्स-पैण्ट के बांये साईड के आगे की जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर इस पानी में एक-दो चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी की जीन्स-पैण्ट के बांये साईड के आगे की जेब को उलटवाकर तीन-चार बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। बाद उक्त पैण्ट कीं जेब को वर्षाती मौसम होने से थाने के एक कक्ष में पंखे के नीचे सुखाने हेतु रखा गया। बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री लालाराम कानि. के निजी मोबाईल में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड में करवाई गई, जिसे पृथक से हस्ब कायदा सील्ड मोहर करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्रकुमार वरिष्ठ सहायक जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 18 नोट, कुल राशि 9000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपडे० की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात परिवादी के कार्य संबधित दस्तावेजात के बारे में एक बार पुनः आरोपित पटवारी व परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 05.08.2024 सोमवार को पटवारी जी ने हमारी मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसील में देने का कहा था, किन्तु आज रिश्वती राशि प्राप्त करते समय मेरे द्वारा मेरे काम का पूछने पर बताया कि थोड़ी बहुत तैयार करनी बाकी हैं, जो मेरे हाथ से ही तैयार करनी पड़ेगी, आपका काम मैं कर दूंगा। परिवादी के कार्य के संबध में आरोपित पटवारी ने बताया कि मौका रिपोर्ट मैंने तैयार कर दी हैं, जो मेरे घर पर मेरी वर्किंग टेबल पर रखी हुई हैं, जो घर पर मौजूद मेरा छोटा भाई हाकम दे देगा, जिस पर पुलिस चौकी सियाणी में मौजूद श्री भवानीसिंह कानि. को थाना हाजा के श्री खेताराम हैड कानि. नं. 201 से मोबाईल कॉल करवाकर आरोपित पटवारी के घर से उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त करने व मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि बरामदगी/घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु सियाणी जाने पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करवाया गया। इस कार्यवाही के दौरान ही श्री नथाराम भाटिया नायब तहसील रामसर व श्री जुंझारसिंह रीडर, एस.डी.एम. रामसर को तलब कर तहसील कार्यालय रामसर से आरोपित पटवारी श्री भूराराम का सेवा विवरण, आरोपित को पटवार हल्का सेतराऊ का अतिरिक्त प्रभार देने संबधी आदेश क्रमांक भू.अ./संस्था/2024/217-224 दिनांक 09.02.2024 व परिवादी के कार्य संबधित तहसीलदार रामसर के आदेश क्रमांक राजस्व/2024/1690 दिनांक 18.07.2024 की प्रमाणित प्रतियां तथा एस.डी.एम. रामसर के पत्रांक विविध/2024/2539 दिनांक 06.08.2024 के संलग्न प्रकरण सं. 99/2024 अन्तर्गत धारा 131, 136 उम्मेदाराम बनाम तहसीलदार रामसर मौजा भोमाणी सियागों की ढाणी की फर्द अहकाम (ऑर्डरशीट) व इसी प्रकरण के संबध में एस.डी.एम. रामसर द्वारा जारी आदेश क्रमांक कोर्ट/2024/2253 दिनांक 05.07.2024 आगामी पेशी तारीख 10.07.2024 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर प्रकरण में वांछित होने से बाद अवलोकन शामिल मिशल की गई। उस समय तक पौने सात पी.एम. का समय हो चुका था, कुछ समय पश्चात अन्धेरा होने के मध्यनजर बरामदगी एंव हाथ धुलाई की शेष कार्यवाही वापसी पर पूर्ण करने व पहले घटना/बरामदगी स्थल का निरीक्षण करने हेतु रवाना होने का निर्णय लिया जाकर रनिंग समस्त कार्यवाही को विराम देकर दस्तियाब सुदा आरोपी श्री भूराराम पटवारी व मालखाना आईटम्स सुरक्षार्थ श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई. मय जाब्ता के

जिम्मे कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री सुराब खां हैड कानि., दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव परिवादी श्री रमेशकुमार के घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण करने एंव परिवादी के कार्य संबधित दस्तावेजात प्राप्त करने जरिये राजकीय वाहन एंव चालक श्री बांकाराम कानि. नं. 584 के पुलिस थाना रामसर से रवाना होकर ग्राम सियाणी स्थित घटना/बरामदगी स्थल पर पंहुच दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री रमेशकुमार की निशांदेही में घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी एंव हालात मौका मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इस दोरान निर्देशानुसार श्री भवानीसिंह कानि. पुलिस चौकी सियाणी ने मौके पर उपस्थित होकर परिवादी के कार्य संबधित दस्तावेजात जो आरोपित पटवारी के घर से प्राप्त सुदा पेश किये, जिन्हें प्राप्त कर कानि. को फॉरिक कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान ग्राम सियाणी से रवाना होकर पुनः पुलिस थाना रामसर पंहुचा, परिवादी एंव स्वतन्त्र गवाहान तथा आरोपी श्री भूराराम पटवारी के समक्ष ग्राम सियाणी से हमराह लाये गये परिवादी के कार्य संबधित दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो कुल पृष्ठ सं. 01 से 22 तक मय संलग्न बंटवाड़े का रंगीन नजरी नक्शा होना पाया गया, जिसमें पृष्ठ सं. 01 आरोपित पटवारी की तरफ से तहसीलदार रामसर को मौका रिपोर्ट मय बरंग नक्शा तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मौका फर्द पृष्ठ सं. 2 से 4 तक, विभिन्न खसरों की जमाबन्दियां पृष्ठ सं. 05 से 10 तक, व भू नक्शा नकलें पृष्ठ सं. 11 से 22 तक मय संलग्न रंगीन नजरी नक्शा (फोल्ड किया हुआ वर्क एक) के प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र लिखा होना होना पाया गया, किन्तु इस प्रार्थना पत्र व रंगीन नजरी नक्शे सहित किसी भी दस्तावेज पर आरोपित पटवारी के हस्ताक्षर किये हुए नहीं पाये गये, इस संबध में आरोपित पटवारी ने बताया कि ये दस्तावेजात मैंने श्री दिलीपकुमार पटवारी, पटवार हल्का चाडार मदरूप, तहसील रामसर से तैयार करवाकर मेरे घर पर रखे थे, जिन पर मेरे हस्ताक्षर कर तहसील कार्यालय रामसर में प्रस्तुत करना शेष हैं। इन दस्तावेजात के संलग्न मौका फर्द पृष्ठ सं. 4 पर खातेदार श्री उम्मेदाराम वगैरहा के हस्ताक्षर व अंगुस्त निशान किये हुए पाये गये, उक्त दस्तावेजात प्रकरण में वांछित होने से हाजिर परिवादी श्री रमेशकुमार के निवेदन पर सभी दस्तावेजात की फोटो प्रतियां करवाकर हाजिर श्री नथाराम नायब तहसीलदार रामसर से प्रमाणित करवाकर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। दस्तावेजात का मूल सेट परिवादी के बंटवाड़े संबधित बकाया कार्य को नियमानुसार पूर्ण करने/अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री नथाराम भाटिया नायब तहसीलदार रामसर को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात आरोपित पटवारी के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स-पैण्ट जो पूर्व में बाद जेब धुलाई के जेब को सुखाने हेतु थाने के कक्ष में पंखे की हवा में रखवाई गई थी, को प्राप्त कर इसके बांयी साईड के आगे की जेब (रिश्वती राशि बरामदगीस्थल) के अन्दर की तरफ परिवादी श्री रमेशकुमार, आरोपी श्री भूराराम पटवारी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाए जाकर इस पर मार्क-पी. अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग होना पाया गया, जिसके संबध में परिवादी से वस्तुस्थिति मालुमात की गई तो परिवादी ने बताया कि पटवारी के कहेनुसार लेन-देन हेतु मैंने ग्राम सियाणी स्थित श्रीमति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के पास पंहुच पटवारी को कॉल किया तो उसने कुछ देर बाद आने का कहा, एंव कुछ समय पश्चात पटवारी स्वयं ने मुझे कॉल कर पूछा कि गाडी में आपके साथ ओर कौन हैं, जिस पर मैंने कहा कि मैं अकेला ही हूं एंव आप जल्दी आओ मुझे बाड़मेर निकलना हैं, जिस पर पटवारी ने कहा कि मुझे भी बाडमेर चलना हैं, इसलिए पूछ रहा था, मैं अभी जस्ट आपके पास आ रहा हूं, जिस पर कुछ समय में पटवारी मेरे पास आकर मेरी गाडी में बैठे गये एंव बाद का घटनाक्रम आपको बता चुका हूं। आरोपित पटवारी के वर्तमान में प्रोबेशन पीरियड में होने तथा इसके द्वारा ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पति एकत्रित करने के कोई साक्ष्य सामने नहीं आने से इसके निवास व कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण की बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न की जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री भूराराम पटवारी मुर्तिब की जाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात आरोपित पटवारी के दो साथी कॉर्मिकगण को थाना हाजा पर तलब कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ताओं की रिकॉर्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री भूराराम पटवारी की आवाज पहचान करने हेतु रिकॉर्डिंग वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंश तलब सुदा हाजिर आये आरोपित के साथी कॉर्मिकगण श्री रामसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री सूरजदान सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय रामसर को रूबरू मौतबिरान सुनवाये जाकर आरोपित पटवारी के आवाज की पहचान करवाई गई। उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द "आवाज पहचान आरोपी श्री भूराराम पटवारी" मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री भूराराम पटवारी, पटवार मण्डल बूठिया, अतिरिक्त प्रभार पटवार मण्डल सेतराऊ, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी श्री भूराराम पुत्र श्री गेनाराम, जाति मेगवाल, उम्र 24 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम सियाणी, तहसील व पुलिस थाना रामसर, जिला बाड़मेर, हाल पटवारी, पटवार मण्डल बूठिया, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल सेतराऊ, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.

[redacted]

एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार इसके सगे भाई श्री हाकम को उसके मोबाईल नंबर 5 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नंबर से कॉल करके दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात गिरफ्तार सुदा आरोपित का राजकीय चिकित्सालय रामसर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। परिवादी श्री रमेशकुमार एवं आरोपी श्री भूराराम पटवारी के मध्य दिनांक 06.08.2024 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री रमेशकुमार के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री रघुवीरसिंह कानि. के सहयोग से श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सीडी की सीलड्युक्त थेली पर मार्क "एल" अंकित किया गया, एवं दूसरी सीडी को डब मानते हुये खुला रखा गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री रमेशकुमार द्वारा की गई। ताबाद परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही में वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड लेन-देन वार्ता मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थैली पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एम.-1 अंकित किया गया। इसके पश्चात दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री रमेशकुमार की उपस्थिति में वक्त ट्रेप रिश्वती राशि की बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही की श्री लालाराम कानि. नं. 328 के निजी मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB में श्री लालाराम कानि. के माध्यम से ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB मूल ही कानि. के निजी मोबाईल से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान एंव परिवादी के उक्त मेमोरी कार्ड में विद्यमान ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से एक डब मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी तैयार करवाया गया, मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्ड युक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क M-2 अंकित कर फर्द शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 07.08.2024 को प्रातः तक मौके की कार्यवाही पूर्ण करने के फलस्वरूप वहां की कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से मन् किशनसिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ एएसआई, श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि.97, श्री अनूपसिंह हैड कानि. 44, श्री ठाकराराम कानि. नं. 440, श्री लालाराम कानि. 328, श्री रघुवीरसिंह कानि. 143, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक व श्री जितेन्द्रकुमार वरिष्ठ सहायक एंव परिवादी श्री रमेशकुमार के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. श्री बांकाराम नं. 584 एवं प्राईवेट वाहन जी.जे. 08 सी.आर. 7037 चालक श्री महेन्द्रसिंह तथा परिवादी के निजी वाहन के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय मालखाना आईटम्स आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी.-1, पी.-2, सील्ड सुदा रिश्वती राशि 9000 रू. का पैकेट मार्क-एम, आरोपित के जीन्स-पैण्ट का सीलड्युक्त पैकेट मार्क-पी., वार्ताओं एंव ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग के मूल व डब मेमोरी, सीडी, परिवादी का मोबाईल आदि एवं अन्य आवश्यक सामग्री के गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री भूराराम पटवारी को हमराह लेकर पुलिस थाना रामसर से रवाना होकर ए.सी.बी. ओ.पी. बाड़मेर पंहुचा, प्रकरण के मालखाना आईटम्स आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी.-1, पी.-2, सील्ड सुदा रिश्वती राशि 9000 रू. का पैकेट मार्क-एम, आरोपित के जीन्स-पैण्ट का सीलड्युक्त पैकेट मार्क-पी., वार्ताओं एंव ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग के मूल व डब मेमोरी, सीडी आदि क्रमशः मार्क डी, मार्क एल, मार्क M-1 व मार्क M-2 मालखाना प्रभारी श्री सुराब खां हैड कानि. नं. 97 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। तत्पश्चात रूबरू गवाहान, परिवादी एंव आरोपी श्री भूराराम पटवारी की उपस्थिति में आरोपी के मोबाईल का अवलोकन किया गया तो मोबाईल सैमसंग एस-24, जिसके आईएमईआई नं. 1-354267930676397/01 व आईएमईआई नं. 2-324563360676398/01 तथा मोबाईल में एक एयरटेल कंपनी की सिम लगी होकर उक्त के मोबाईल नं. होना, इसी सिम पर वॉट्सअप अकाउण्ट बना हुआ पाया गया, हाजिर परिवादी (मोबाईल नं. एंव आरोपी (मोबाईल नं.) ने बताया कि दिनांक 31.07.2024 से कल दिनांक 06.08.2024 तक हमारे बीच उक्त नंबरो से सामान्य कॉल एंव वॉट्सएप कॉल से परस्पर वार्ता हुई थी एंव कुछ वॉटसअप मैसेजेज का भी आदान-प्रदान हुआ था। जिस पर आरोपी के मोबाईल की कॉल लॉग चेक की गई तो दिनांक 31.07.2024 व 06.08.2024 को परिवादी व आरोपी के बीच सामान्य कॉल से परस्पर वार्ता होना

पाया गया। साथ ही आरोपी के मोबाईल के वॉट्सऐप अकाउण्ट को चैक किया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी के वॉट्सअप नंबर "RAMESH SIYAG" नाम से सेव किये हुए होना, जिस पर दिनांक 31.07.2024 से दिनांक 06.08.2024 तक दोनों के बीच परस्पर वॉट्सअप चेटिंग एंव कॉलिंग होना पाया गया, उक्त वॉट्सअप चेटिंग एंव कॉलिंग के स्क्रीनशॉट लिये जाकर इनका प्रिण्ट आऊट लेकर इन पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। इसके अलावा आरोपित के मोबाईल में अन्य कोई संदिग्ध चेटिंग, कॉलिंग एंव राशि का लेन-देन किया जाना/होना नहीं पाया गया, लिहाजा आरोपित के मोबाईल की प्रकरण के अग्रिम अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होने से मोबाईल को रिलीज करने का निर्णय लिया जाकर गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री भूराराम पटवारी के कहेनुसार अज खुद चौकी हाजा पर उपस्थित आये आरोपित के मामा श्री प्रवीण पंवार पुत्र श्री आसूराम पंवार, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, बाड़मेर, मोबाईल नं. को आरोपित का मोबाईल जिस हालत में प्राप्त किया गया था, उसी हालत में सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री रमेशकुमार एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मूलाराम वरिष्ठ सहायक व श्री जितेन्द्रकुमार वरिष्ठ सहायक को फॉरिक कर गन्तव्य हेतु रूखस्त दी गई। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री भूराराम पटवारी, पटवार मण्डल बूठिया, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल सेतराऊ, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री रमेशकुमार के पिता श्री उम्मेदाराम द्वारा अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि का हिस्सेदारों में आपसी सहमति से बंटवाड़ा कराने हेतु श्रीमान एस.डी.एम. रामसर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व आवेदन सं. 99/2024 उम्मेदाराम बनाम तहसीलदार में श्रीमान एस.डी.एम. रामसर के आदेश क्रमांक कोर्ट/2253 दिनांक 05.07.2024 के क्रम में तहसीलदार रामसर द्वारा आरोपित श्री भूराराम पटवारी, पटवार हल्का सेतराऊ को पृष्ठांकित आदेश क्रमांक राजस्व/2024/1690 दिनांक 18.07.2024 की पालना में परिवादी के पिता श्री उम्मेदाराम एंव अन्य की सामलाती कृषि भूमि का कब्जा काश्त अनुरूप मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने की ऐवज में आरोपित पटवारी द्वारा दिनांक 03.08.2024 को वक्त सत्यापन परिवादी से 15000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर इसमें से 5000 रू. अपने जानकार श्री मगाराम ई-मित्र धारक रामसर वाले को फोन पे करवाये गये व शेष 10,000 रू. में से परिवादी के बार-बार आग्रह पर 1000 रू. कम करते हुए 9000 रू. रिश्वती राशि लेना तय किया जाने के फलस्वरूप दिनांक 06.08.2024 को आरोपित पटवारी के विरूद्ध स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपित को ग्राम सियाणी में पुलिस चौकी से आगे आम सड़क पर तय सुदा रिश्वती राशि 9000 रू. प्राप्त करते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपित के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। दौराने कार्यवाही आरोपित पटवारी के पास परिवादी का मौका रिपोर्ट संबधित कार्य विचाराधीन होना पाया गया। अतः आरोपी श्री भूराराम पुत्र श्री गेनाराम, जाति मेगवाल, उम्र 24 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम सियाणी, तहसील व पुलिस थाना रामसर, जिला बाड़मेर, हाल पटवारी, पटवार मण्डल बूठिया, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल सेतराऊ, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (किशनसिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर, ...कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशन सिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेंर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भूराराम पुत्र श्री गेनाराम मेघवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम सियाणी, तहसील व पुलिस थाना रामसर, जिला बाड़मेर, हाल पटवारी, पटवार मण्डल बूठिया, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल सेतराऊ, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री संग्राम सिह पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेंर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 99 पर अंकित है। (रणधीर सिहं) उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 865-68 दिनांक 07.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर प्रथम। 2 जिला कलक्टर बाड़मेंर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेंर । उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

[redacted]

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** sangram singh bhati **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/08/2024 15:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)